

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सहयोग अस्पताल 40,
पाटलीपुत्रा कालोनी
पटना 800013

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विमलेश शुक्ला पिता-रविन्द्र शुक्ला ग्राम-बडका डुमरा वार्ड 4 पोस्ट-बडका डुमरा थाना-आरा मुफ्फसिल जिला-भोजपुर	TBM with Bicaterac Pneumonia Sepsis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) का क्रास चेक स० 022678 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस०

बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1638(14)

पटना, दिनांक

09/6/2026

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक..

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	जासमीन अफरीन पिता मो० शाहीर नवाज ग्राम+पोस्ट—कोइलहारा थाना—मधुबन पी०एस० जिला—पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस— 1036230	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	प्रमोद भगत पिता—रबी भगत ग्राम+पो०—तमघट्टी थाना—बौसी जिला—अररिया एम०सी०एस—10361758	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुधीर कुमार पिता—नरेश राम ग्राम—गोविन्दपुर वार्ड 02 पो०—धरहरा थाना—धरहरा जिला—मुंगेर एम०सी०एस—10363815	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	महेश रविदास पिता—स्व० नारायण रविदास ग्राम— केशोपुर पो०—धनवा थाना—हिसुआ जिला—नवादा एम०सी०एस—10360588	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	दौलती देवी पति-कारू यादव ग्राम-मोहाचक पो0-काको थाना-काको जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-10362812	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	बसन्ती देवी पति-बिमल यादव ग्राम-चकधा पोस्ट-बलतर थाना-आजम नगर जिला-कटिहार एम0सी0एस-10363040	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	राधिका देवी पति-ब्रह्मदेव महतो ग्राम-सबलपुर चाई टोला पो0-सोनपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण एम0सी0एस-10360674	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	गौरी देवी पति-अभिलाष कुमार झा ग्राम-कोर्थु वार्ड 12 पो0-कोर्थु थाना-घनश्यामपुर जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 99730 / 10345622	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	चुन्नी देवी पति-बालेश्वर मडल ग्राम-झौवारी पो0-बहदुरा थाना-रूपौली जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-10360055 / जी0 14164	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	अजु देवी पति-जयजय राम ग्राम-पनसाय पो0-ममये थाना-असरगज जिला-मुंगेर एम0सी0एस-10364486	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

11	गौरी शकर चौधरी पिता-पारस चौधरी ग्राम-राम धाम मंदिर पोस्ट+थाना बगहा जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-10363548	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	प्रभावती देवी पति-कमलेश प्रसाद ग्राम-गोरिया टोली पो0-जी0पी0ओ0 थाना कोतवाली जिला पटना एम0सी0एस-जी0 14021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	नागेन्द्र चौधरी पिता-सुरज चौधरी ग्राम-बेलबनवा पोस्ट-मोतिहारी थाना-टाउन जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 7248	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	मीना देवी पति-राजेश्वर तिवारी ग्राम-राजबरिया खुर्द पो0-राजबरिया कला थाना-नबीनगर जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-14370 / 1036026 1	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	चदन कुमार सिंह पिता-स्व0 लक्ष्मी सिंह ग्राम-बालु टोला पो0-कुमारीपुर थाना-मनिहारी जिला-कटिहार एम0सी0एस-10364625	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	दुन्नी देवी पति-रामजीवर प्रसाद ग्राम-तेल्हारा पो0-तेल्हारा थाना-तेल्हारा जिला-नालन्दा एम0सी0एस-ई0 11093	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	शाहवाज आलम पिता-मो0 साकिर ग्राम-मौधो नियामतपुर पो0-मौधो थाना-कोचाधामन जिला-किशनगज एम0सी0एस-10364300	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

18	ललिता देवी पति-हलेश्वर ठाकुर ग्राम-पीपरा पो0-द्वाशय थाना-हसनगज जिला-कटिहार एम0सी0एस-10363383	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	योगेन्द्र पासवान पिता विदेशी पासवान ग्राम-झीग नगर पोस्ट+थाना- बिहार शरीफ जिला नालदा एम0सी0एस-10362410	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	शान्ति देवी पति-बचन्धर सिंह ग्राम-दुसाध टोली पो-गुलजारबाग थाना-आलमगज जिला-पटना एम0सी0एस-10360574	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	कृष्णा सिंह पिता-बुनीलाल ग्राम-मननपुरा पो0-तेतहली थाना-बडहरिया जिला सीवान एम0सी0एस-जी0 12337 / 10358228	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	सुआती कुमारी पिता विनोद मडल ग्राम-शाहपुर पो0-चुन्नी थाना-छातापुर जिला सुपौल एम0सी0एस-10362870	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	मीना कुवर पति-अशोक ठाकुर ग्राम-दनवार पो0-दनवार थाना-कच्छवा जिला- रोहतास एम0सी0एस-10260138 / एफ 14246	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	राम गोपाल पासवान पिता-कुशेश्वर पासवान ग्राम-मजरगाही पो0-बधौनी थाना-बिरौल जिला दरभंगा एम0सी0एस-92826 / 10338718	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

25	रवाया खातुन पति—मजुर अहमद ग्राम—रघुनाथपुर पो0—बहादुरपुर थाना—जामो बाजार जिला—सीवान एम0सी0एस—10351516	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	महेन्द्र कुमार सिंह पिता—स्व0 छोटे लाल सिंह ग्राम—कोतवाली पो0—हरचडी थाना—रजौन जिला—बाका एम0सी0एस—एफ 69233 / 10315125	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	छोटन पासवान पिता—जोगी पासवान ग्राम—गागुली पो0—गागुली थाना—बेनीपट्टी जिला—मधुबनी एम0सी0एस—10363947	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	सगीरूल हक पिता—मो0 शकुर ग्राम—हथुआ गाव पोस्ट—हथुआ थाना हथुआ जिला—गोपालगज एम0सी0एस—जी0 12108 / 10357999	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	मोहम्मद फुरकान पिता—नजीरुद्दीन ग्राम—नहरा कोल पो0—तालबाडी थाना—अमौर जिला—पूर्णिया एम0सी0एस—10359968 / जी0 14077	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	सुलेखा देवी पति—छुतहरू साह ग्राम—जदीया पो0—जदीया थाना—जदीया जिला—सुपौल एम0सी0एस—एफ 99400 / 10345292	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

31	सरोज देवी पति-धुवनाथ चौबे ग्राम-कुतुछ छपरा पो0-राछोपाली थाना-बडहरिया जिला-सीवान एम0सी0एस-10362807	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	पानो देवी पति-कलर मंडल ग्राम+पो0-तेलहन थाना-सदर जिला-दरभंगा एम0सी0एस-10363447	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	रिषव कुमार पिता-ध्रुव राय ग्राम लक्ष्मीपुर पो0-नरगा थाना-बेला जिला-सीतामढी एम0सी0एस-ई0 94936	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	रिकु देवी पति-कृष्ण राय ग्राम-मोहनपुर पो0-मोहनपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-10361582	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	मोहम्मद मुस्लिम पिता-अब्दुल रशीद ग्राम-बनिया पो0- तेतरिया थाना-गोविन्दपुर जिला-नवादा एम0सी0एस-10341440 / एफ 95548	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	छोटकी देवी पति-छोटे लाल यादव ग्राम-अटरी पो0-लौकही थाना-लौकही जिला-मधुबनी एम0सी0एस-10363907	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	सगीता कुमारी पति-सिकन्दर प्रसाद यादव ग्राम-छर्पापट्टी पो0-छर्पापट्टी थाना-साहेबपुर कमाल जिला बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 56475 / 10302367	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

38	रेणु देवी पति-अनील रजक ग्राम-दक्षिणी भाग रामकृष्णा नगर पो0-न्यु जगनपुरा थाना-रामकृष्णा नगर जिला-पटना एम0सी0एस-10361553	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	मलिक यादव पिता-बच्चा यादव ग्राम-भटौली पोस्ट-दनवान थाना जगदीशपुर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 14497/10360388	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	सुषमा कुमारी पति-सुरेन्द्र सिंह ग्राम+पो0 दौलतपुर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-10363261	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	बुगो देवी पति-मानिक चंद यादव ग्राम-घरासी पो0-मीरगज थाना मीरगज जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-10349205	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	प्रिस मिश्रा पिता-सत्येन्द्र मिश्रा ग्राम-नौगढ 4 पो0-नौगढ थाना-आमस जिला-गया एम0सी0एस-10344543	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	सजय कुमार झा पिता-स्व0 निरजन झा ग्राम-झखरा पो0-कदराचक थाना-शभुगज जिला बाका एम0सी0एस-10364046	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	फुला देवी पति-कृष्ण महतो ग्राम-जलालपुर पो0-चिकसौरा थाना चिकसौरा जिला-नालन्दा एम0सी0एस-जी0 13583 /10359474	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

45	सझा देवी पति-जयलाल मडल ग्राम-परवहा पो0-सरायगढ थाना-भपटियाही जिला-सुपौल एम0सी0एस-10362123	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	शभु प्रसाद साह पिता-स्व0 राम प्रसाद साह ग्राम-सीमानपुर पो0-शादीपुर थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर एम0सी0एस-10363523	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	प्रभु महतो पिता-पूना महतो ग्राम-कुरहाडीह पो0-मथुरापुर थाना-सिकन्दरा जिला-जमुई एम0सी0एस-10363881	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	मो इलियास पिता-मो0 युसुफ ग्राम-जहाना पोस्ट-दौरमा थाना-ऑती जिला-गया एम0सी0एस-एफ 93923	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	रफीक आलम पिता-अब्दुल सकुर ग्राम-चद्रयान पो0-चद्रयान थाना-नवहट्टा जिला-सहरसा एम0सी0एस-10363282	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	नुतन देवी पति-कुदन पासवान ग्राम-औराही पूरब पासवान पो0-सिमराहा थाना-सिमराहा जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 57836/ 10303728	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	गुलाब राय पिता-मन्नु राय ग्राम-शहर दियारा पो0+थाना-सोनपुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 19464/ 10265356	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

52	बबीना कुमारी पति- गिरधारी टाकुर ग्राम+पो- ब्रह्मपुर थाना- जाले जिला- दरभंगा एमसीएस न0- 10363094	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 41,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 41,60,000/- (एकतालीस लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002681... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

जापाक

1629(14)

पटना, दिनांक

09/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002681 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम सुन्दर भडारी पिता- मन्नेलाल भडारी ग्राम- नगर परिषद् झंझारपुर वार्ड 03 पो0+थाना- झंझारपुर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600996281	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	उपेन्द्र साहू पिता- मिश्रीलाल साहू ग्राम+पो0- सुसारी थाना- बहेरी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112500787545	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	राजमुन्नी देवी पति- मेघराशी रविदास ग्राम- विक्रमपुर वार्ड 08 पो0+थाना- परवलपुर जिला- नालदा सीआर न0- 108112300208290	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	रिक्कू देवी पति- लालदास राम ग्राम-करसवा वार्ड 10 पो0- करसवा थाना- फेसर जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112501278245	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मछिया देवी पति- राजगीर राय ग्राम- बस्ती खोआजपुर पो0- पस्तारा थाना- बलिगाव जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300233571	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मिथुन कुमार पिता- धर्मवीर महतो ग्राम- नया टोला सिमरी वार्ड 17 पो0+थाना- बखतियारपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112402786948	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	ममता देवी पति- सुनील झा ग्राम+पो0+थाना- बेलसड जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112402068751	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	कोमल कुमारी पति- सजीव कुमार ग्राम- चेरिया बरियारपुर वार्ड 16 पो0- श्रीपुर थाना- चेरियाबरियारपुर जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112300625761	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	बिरेन्द्र राय पिता- चंदरदीप राय ग्राम- शेखपुरा गगटी पो0- करहटिया बुजुर्ग थाना- गोरौल जिला- वैशाली सीआर न0- 108112503450941	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	सुनीता देवी पति- जय प्रकाश राय ग्राम- नवल टोला पोखरी के पास वार्ड 10 पो0- रामपुर आमी थाना- दिघावारा जिला- सारण सीआर नं0- 108112300112861	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	उर्मिला देवी पति- रामनाथ कामत ग्राम- देवनाथपट्टी पो0- हतनी थाना- घोघरडीहा जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112301006500	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	बेचू मडल पिता- जोगी मडल ग्राम- सिरसिया बाजार वार्ड 11 पो0- सिरसिया बाजार थाना- बेला जिला- सीतामढी सीआर न0- 1081124002575262	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	चुनचुन महतो पिता- शीतल महतो ग्राम- बढकुरबा मझौल वार्ड 04 पो0+थाना- मझौल जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112600452401	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	नारायण प्रसाद मेहता पिता- तनुक लाल मेहता ग्राम- भगवानपुर वार्ड 11 पो0- साहेबान थाना- रतनपुरा जिला- सुपौल सीआर न0- 108112601185732	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	यदुराम मोची पिता- सोधन मोची ग्राम- सर्बसीमा पो0- लोहना रोड थाना- भैरवस्थान जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112601137231	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	दिनेश राम पिता- सिपाही राम ग्राम- बलवा पो0- सहरी थाना- घोसवरी जिला- पटना सीआर न0- 108112300299210	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	चम्पा देवी पति- राम प्यारे सिंह ग्राम- कोठी बिगहा वार्ड 02 पो0- अमझोर थाना- रोहतास जिला- रोहतास सीआर न0- 108112600853472	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	कुती देवी पति- सहदेव सिंह ग्राम- बारा वार्ड 05 पो0- बारा कोरियम थाना- अरवल जिला- अरवल सीआर न0- 108112600866876	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	सरिता देवी पति- अखिलेश कुमार ग्राम- तिउरी वार्ड 01 पो0- तिउरी थाना- मानपुर जिला- नालदा सीआर न0- 108112300009921	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	अनिल उपाध्याय पिता- मनोहर उपाध्याय ग्राम-राजीव नगर वार्ड 05 पो0- केशरिनगर थाना- राजीवनगर जिला- पटना सीआर न0- 108112300415660	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	नविन कुमार सिन्हा पिता- अवधेश कुमार सिन्हा ग्राम- कायस्थ टोला वार्ड 33 पो0+थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112600023798	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	दिलीप साह पिता- बच्चे लाल साह ग्राम- खजुरबारी जोगबनी वार्ड 05 पो0+थाना- जोगबनी जिला- अररिया सीआर न0- 108112503161841	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	सज्जन राय पिता- प्रमेश्वर राय ग्राम- भगवानपुर चकशेखु वार्ड 04 पो0+थाना- दलसिहसराय जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600926097	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	कौशल्या देवी पति- श्याम यादव ग्राम- जदिया वार्ड 13 पो0+थाना- जदिया जिला- सुपौल सीआर न0- 108112400227941	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	प्रभु राय पिता- चानो राय ग्राम- भवानदपुर वार्ड 07 पो0- पानापुर थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112301163737	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	सरिता देवी पति- शिवचंद्र महतो ग्राम- घटहो वार्ड 09 पो0+थाना- घटहो जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112502722467	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	रिना देवी पति- जीतेन्द्र सिंह ग्राम- अरना वार्ड 02 पो0- अरना थाना- मशरक जिला- सारण सीआर न0- 108112600824740	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	प्रमिला देवी पति- कर्पूरी चौधरी ग्राम- बागमली वार्ड 09 पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501206112	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	विनोद महतो पिता- बिदेश्वरी महतो ग्राम- धरफरी वार्ड 13 पो0- धरफरी थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112503111950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	विनय कुमार पिता- जोगी राय ग्राम- घोरनगर वार्ड 11 पो0- जनार्दनपुर थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112601155906	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सजू देवी पति- राजू कुमार ग्राम- खुर्दा वार्ड 11 पो0- यदुआपट्टी थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112401450024	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	रूपम प्रसाद पिता- धनेश्वर प्रसाद ग्राम- शक्तिपुरम कॉलोनी वार्ड 02 पो0- अशियाना नगर थाना- राजीवनगर जिला- पटना सीआर न0- 108112400408776	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	विद्यावती देवी पति- दशरथ राम ग्राम- छाता वार्ड 06 पो0- छपिया बुजुर्ग थाना- हुसैनगज जिला- सिवान सीआर न0- 108112401759025	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	सिमा देवी पति- सतीश सिंह ग्राम- सकरदास नवादा वार्ड 12 पो0- सकरदास नवादा थाना- वजीरगज जिला- गयाजी सीआर न0- 108112401885527	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	शोभा कुमारी पति- स्व0 सुनील प्रसाद ग्राम- रहीमपुर वार्ड 01 पो0+थाना- रहुई जिला- नालदा सीआर न0- 108112600970711	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	दिलीप यादव पिता- महादेव यादव ग्राम- बगवरिया पो0- कोझी गोडा थाना- फुल्लीडुमर जिला- बांका सीआर न0- 108112600261796	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	नरेद्र कुमार पिता- कामेश्वर साव ग्राम- बारा इजरा पो0- डुमरी सुदरी थाना- कौवाकोल जिला- नवादा सीआर न0- 108112600326227	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	पकज साह पिता- लक्ष्मण साह ग्राम- सुबाटोल वार्ड 03 पो0- भरफोरी थाना- आध्रामठ जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112300012255	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	चम्पा देवी पति- राजदेव महतो ग्राम- कसमर वार्ड 02 पो0- खरिका थाना- सोनापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112501589801	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	प्रीति कुमारी पति- बबलू कुमार ग्राम- कैलाशपुर वार्ड 04 पो0- उलाउ थाना- सिधौल जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600193243	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	बन्दना देवी पति- रविद्र प्रसाद ग्राम+पो0- सेखदेवरा थाना- कौवाकोल जिला- नवादा सीआर न0- 108112300028691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	आशा देवी पति- जामुन राम ग्राम- सुलिन्दाबाद वार्ड 43 पो0- सुलिन्दाबाद थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112601192216	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	किरण देवी पति- सुरेद्र प्रसाद गुप्ता ग्राम- गोवासी वार्ड 12 पो0- गोवासी थाना- के नगर जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112601221186	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	अजु कुमारी पति- उमेश चद्र ठाकुर ग्राम- लाभगॉव वार्ड 06 पो0- लाभगॉव थाना- गगौर जिला- खगडिया सीआर न0- 108112400972566	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	चमनी देवी पति- कुशती मडल ग्राम- पटेगना वार्ड 02 पो0- पटेगना थाना- ताराबाडी जिला- अररिया सीआर न0- 108112601149507	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	कविता देवी पति- राम विलाश महतो ग्राम- परना वार्ड 06 पो0- परना थाना- निमाचदपुरा जिला- गेगूसराय सीआर न0- 108112300168611	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	वन्दना देवी पति- प्रेम सागर शर्मा ग्राम+पो0- पबडा थाना- मझौल जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600799761	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	छोटेलाल दास पिता- ठक्को दास ग्राम- मैनारहिका वार्ड 10 पो0- बाजिदपुर थाना- मनीगाछी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112600301704	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	राजकुमारी देवी पति- सुरेश महतो ग्राम- चगेल वार्ड 05 पो0- चगेल थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112403533202	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	मणि देवी पति- सतेद्र सिंह ग्राम- सहार वार्ड 07 पो0- घटराइन थाना- मदनपुर जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112601167602	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	मुन्ना कुवर पति- स्व0 सुनील कुमार ग्राम- चक चिचौल वार्ड 04 पो0+थाना- नौबतपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112502191931	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	मालती देवी पति- उदय शंकर सिंह ग्राम- अन्दा वार्ड 01 पो0- अन्छा थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112400128576	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	सरस्वती देवी पति- सातो यादव ग्राम- फुलमलिक वार्ड 11 पो0- फुलमलिक थाना- साहेबपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112601162317	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	सुन्दरी देवी पति- देवेन्द्र सिंह ग्राम- सिरनावॉ वार्ड 10 पो0- सिरनावॉ थाना- वेना जिला- नालदा सीआर न0- 108112600958436	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	रीना देवी पति- रामधार राय ग्राम- चमथा बरखुट वार्ड 09 पो0- चमथा बरखुट थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600937846	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	चदेश्वर प्रसाद सिंह पिता- रघुनाथ प्रसाद सिंह ग्राम- केवानी वार्ड 04 पो0- केवानी थाना- गरखा जिला- सारण सीआर न0- 108112600908943	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	अरूण साह पिता- झकश साह ग्राम- कचरा वार्ड 12 पो0- कचरा थाना- सौरबाजार जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501245045	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	ललिता देवी पति- सुधीर पासवान ग्राम- इटहारी वार्ड 02 पो0- इटहारी थाना- आलमनगर जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112600971289	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	रमेश राय पिता- बिन्देश्वरी राय ग्राम- सलेमपुर वार्ड 08 पो0- सूतिहार थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर नं0- 108112501472360	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	चिन्ता देवी पति- राजेश्वर राय ग्राम- जलालपुर कला वार्ड 11 पो0- बिशुनपुरा थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112500255993	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	बिहू कुमार पिता- इदल कुमार ग्राम- हरवशपुर वार्ड 10 पो0+थाना- इस्लामपुर जिला- नालदा सीआर नं0- 108112300087018	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	आरती देवी पति- अजय कुमार झा ग्राम- ढगा पश्चिम वार्ड 10 पो0- ढगा थाना-अरेर जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112503087790	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	इद्रावती देवी पति- कृपाशंकर प्रसाद ग्राम- छोटका बिशुपुर वार्ड 04 पो0- छोटकी नैनीजोर थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112300307841	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	कबिता देवी पति- मिटू कुमार ग्राम- ब्यापुर वार्ड 02 पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना सीआर न0- 108112403322147	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	सुनीता देवी पति- बिलाश मलड ग्राम+पो0+थाना- अकबरनगर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112401647332	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	चन्द्रिका राम पिता- सकलदीप राय ग्राम- राजपुर पो0- बिहटा थाना- आईआईटी बिहटा जिला- पटना सीआर न0- 108112600716475	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	ललन साह पिता- दशरथ साह ग्राम- शिल्हौरी वार्ड 03 पो0- शिल्हौरी थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर न0- 108112300631001	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	दिलीप कुमार भगत पिता- विश्वनाथ भगत ग्राम- गगद्वारा वार्ड 07 पो0- गगद्वार थाना- अन्धाटारही जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112601130172	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	रेनू देवी पति- अरविन्द राम ग्राम- छतवारा रायभान पो0- माधोपुर थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501667870	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	नूरजहाँ खातून पति- मो0 शोएब आलम ग्राम- बडी दरगाह वार्ड 45 पो0+थाना- बिहारीशरीफ जिला- नालदा सीआर न0- 108112300098552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	मुनि देवी पति- सचिद्र सिंह ग्राम+पो0- बभनगावा थाना- परसा जिला- सारण सीआर न0- 108112601319143	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	विजय कुमार सिंह पिता- जगदीश सिंह ग्राम- खानपुर वार्ड 03 पो0+थाना- बडहरिया जिला- सिवान सीआर न0- 108112501544140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	रामनरेश दास पिता- फकीरा दास ग्राम- बीरपुर वार्ड 06 पो0- बीरपुर थाना- जुरावनपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600537899	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	अन्या खातून पिता- अली हसन ग्राम- गुमटी टोला पो0- जरलाही थाना- कुर्सेला जिला- कटिहार सीआर न0- 108112600938168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



75	नूरी खातून पति- मो० खुशद हाशिम ग्राम- पुराना शहर डुली टोला वार्ड 03 पो०+थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद सीआर न०- 108112601090171	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	नन्दनी कुमारी पिता- दीपक कुमार ग्राम- टेकारी पो०- सलेमपुर थाना- किजर जिला- अरवल सीआर न०- 108112600771638	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	आलिया खातून पति- अब्दुल कलाम राईन ग्राम- देवधा उत्तरी वार्ड 02 पो०+थाना- देवधा जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112300688216	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	रीणा देवी पति- अनिल दास ग्राम- चकसिराई वार्ड 05 पो०- चदौली थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112300289931	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	मिथिलेश कुमार पिता- सुदेश्वर दास ग्राम- केरई वार्ड 10 पो०- केरई थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112403077657	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	प्रितम कुमार पिता- नित्यानन्द कुमार ग्राम- पतरिया वार्ड 07 पो०- पतरिया थाना- कडौना जिला- जहानाबाद सीआर न०- 108112503561904	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	इद्रा देवी पति- स्व० रामजी तिवारी ग्राम- मीनापुर राई वार्ड 13 पो०- मीनापुर राई थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न०- 108112300016838	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	खुशबु देवी पति- राजीव कुमार देव ग्राम- गोरखा वार्ड 14 पो0- गोरखा थाना- अलीनगर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112502953515	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	कलावती देवी पति- दिनेश राय ग्राम- हरना पो0- मस्तीचक थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112601019867	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	सागर राम पिता- सुधन राम ग्राम- गौशपुर वार्ड 07 पो0- गौशपुर बरियारपुर थाना- राजापाकर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300503160	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	योगेन्द्र कुमार ठाकुर पिता- श्री हरेराम ठाकुर ग्राम- दिया परमेश्वर पो0- दियामान थाना- कृष्णब्रह्म जिला- बक्सर सीआर न0- 108112600040858	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	लालती देवी पति- स्व0 सकलदेव प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- हासी केवल थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500894066	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	राधा देवी पिता- राम देव सिंह ग्राम- बेनौत वार्ड 11 पो0- सरव थाना- रसूलपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112601106115	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	प्रमोद कुमार पिता- कपिल देव साह ग्राम- चुना गली वार्ड 12 पो0+थाना- गोपालगज जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112301168135	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	देवन्ती देवी पति- चद्रदेव महतो ग्राम- दिघवारा वार्ड 13 पो0+थाना- दिघवारा जिला- सारण सीआर न0- 108112601281782	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	तपेश्वर यादव पिता- जगदीश यादव ग्राम- बरूआ वार्ड 04 पो0- साहसी थाना- अलौली जिला- खगडिया सीआर न0- 108112600957499	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	रामु सिंह पिता- हरी सिंह ग्राम- कुर्जी कोठिया विकाश नगर वार्ड 22 पो0- सदाकत आश्रम थाना- पटना सीआर न0- 108112402727054	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	जादो लाल पासवान पिता- मुसन पासवान ग्राम- मौजे रक्सौल पो0+थाना- रक्सौल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112601244879	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	मो0 कयामुद्दीन पिता- स्व0 साहेब अली असारी ग्राम- अलमीजन नगर नोहसा वार्ड 05 पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना सीआर नं0- 108112300109321	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	आयशा सिद्दीकी पति- मो0 इजहारूल हक ग्राम- महत्वाना मोहल्ला पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना सीआर न0- 108112600597565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	प्रीति देवी पति- टुनटुन कुमार ग्राम- तिलकपुर वार्ड 02 पो0- महमूदा थाना- आलमनगर जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112600865403	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	गीता रानी पति- अशोक कुमार ठाकुर ग्राम- लक्ष्मीपुर वार्ड 17 पो0+थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300828166	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	सीताराम साह पिता- उमेद्र साह ग्राम- बासुदेवपुर पो0- कोरिया हैबतपुर थाना- मुफ्फसिल जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112301018371	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	अरविन्द प्रसाद पिता- ब्रह्मदेव महतो ग्राम- अहियापुर मुशहरी वार्ड 07 पो0- गोपालबाद थाना- सरमेरा जिला- नालदा सीआर न0- 108112300459357	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	नसीमा खातून पति- सेख फुनु ग्राम+पो0+थाना- अमदाबाद जिला- कटिहार सीआर न0- 108112601106646	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	नरसिंह प्रसाद पिता- चमकलाल प्रसाद ग्राम- मिल्की पो0- अमरपुर थाना- मेदनी चौकी जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112501845824	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	निरु देवी पति- धर्मेन्द्र राय ग्राम- फतहपुर चकसुलेमान वार्ड 04 पो0- अबाबकरपुर थाना- कटहरा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112601133384	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	शहिद कुरैशी पिता- जहाँगीर कुरैशी ग्राम- चिकपट्टी वार्ड 01 पो0- बकुलहर थाना- चनपटिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112300114384	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	खुशबु देवी पति- अरविन्द पासवान ग्राम- मछही वार्ड 09 पो0- मछही थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112503032723	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	प्रदीप राम पिता- अर्जुन राम ग्राम- ससार पोखर पो0+थाना- लखीसराय जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112601021969	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	योगेन्द्र सिंह पिता- रामजित सिंह ग्राम- कोहरा वार्ड 08 पो0- कोहरा थाना- दाउदपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112502220372	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	दिलीप कुमार पिता- रामचन्द्र साह ग्राम- डेकरी वार्ड 06 पो0- जहाँगीरपुर कोठिया थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112400864640	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	सजू देवी पति- रामबाबू सिंह ग्राम- सोतीचक वार्ड 14 पो0- परसा थाना- फतुआ जिला- पटना सीआर न0- 108112601040700	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
108	देवमती देवी पति- अरविन्द कुमार ग्राम- लालू बिगहा पो0+थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112403324638	Nephrotic Syndrome	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
109	टिकू कुमार पिता- बिल्टू साह ग्राम- जलालपुर वार्ड 10 पो0- जलालपुर थाना- शाहपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300685683	CKD-5ND	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

110	मो० साउद पिता- मो० मैनुल ग्राम- बरारी मुस्लिम टोला वार्ड 04 पो०- गुरुबाजार थाना- बरारी जिला- कटिहार सीआर न०- 108112601297883	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
111	किरण देवी पति- बैदेही सिंह ग्राम- मानपुर रत्नावली वार्ड 05 पो०- मानपुर रत्नावली थाना- रुन्नी सैदपुर जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112402551649	हृदय रोग पीटीसीए	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
112	अगूरी खातून पति-मो० इस्माइल ग्राम- पातेपुर गोपीनाथ वार्ड 05 पो०- दिघरा थाना- बैनी जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112600975641	ट्यूमर/कैसर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	मौसम प्रवीण पिता- तनवीर साह ग्राम- बसगडा वार्ड 12 पो०- जगैली थाना- श्रीनगर जिला- पूर्णियाँ सीआर न०- 108112600387749	हृदय रोग एएसडी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
114	दीनबधु कुमार पिता- सजय यादव ग्राम- पररिया पो०- गोढैला थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा सीआर न०- 108112600209522	गैस्ट्रो सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
115	चादनी कुमारी पिता- सगुन दास ग्राम- बिशनपुर सोनसा टोले मुर्गियाचक वार्ड 02 पो०- भोरेजयराम थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112300601129	Nephrotic Syndrome	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

116	बबिता कुमारी पति- अमरजीत कुमार ग्राम- सामी डीह वार्ड 13 पो0- दौलतपुर थाना- खोदावान्दपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112500958536	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
117	मोहम्मद अतहर पिता- मो0 निसार ग्राम- इमनसराय पो0- शाहपुर उडी थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112400406943	Refractory Ulcerative Colitis	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
118	मजू देवी पति- विश्वनाथ राम ग्राम- खैरनपुरवार्ड 01 पो0- पकडी थाना- मशरक जिला- सारण सीआर न0- 108112501434379	Lupus Nephritic	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
119	सुदामा पासवान पिता- सोनेलाल पासवान ग्राम- सेक्टर 07 एमआईजी ब्लॉक 03 पो0- बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना सीआर न0- 108112501897875	Cottodine Stricture	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
120	सरिता देवी पति- सुरेद्र पासवान ग्राम- चिकनी वार्ड 11 पो0- बरवा थाना- हरपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112502075020	हीप रिफ्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
121	धमेन्द्र कुमार यादव पिता- उमेशचन्द्र यादव ग्राम- कमलपुर पो0- हावीडीह थाना- बहेरी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501538662	हीप रिफ्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
122	पंकज कुमार पिता- मोहन लाल देवी ग्राम- पोहदी बेला वार्ड 06 पो0- पोहदी थाना- धनश्यामपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112503403438	हीप रिफ्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

123	जीतनी देवी पति- गजेद्र रविदास ग्राम- गबडापर पो0+थाना- हिलसा जिला- नालदा सीआर न0- 108112500972482	ट्यूमर/कैसर (ब्रेन)	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
124	सूरज कुमार वर्मा पिता- उदय प्रसाद ग्राम- कटेसर वार्ड 13 पो0- कटेसर थाना- बिहटा जिला- पटना सीआर न0- 108112600833145	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
125	सजय कुमार भारती पिता- शिवनदन प्रसाद यादव ग्राम- परवाहा पो0- कौडिहार थाना- गम्हरिया जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112300185427	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	दिनेश शर्मा पिता- मोती शर्मा ग्राम- रैल्ली इंग्लिश पो0- रैल्ली थाना- एन0टी0पी0सी0 जिला- पटना सीआर न0- 108112300083098	CKD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
127	गीताजली कुमारी पति- पवन कुमार ग्राम-आ0 के0 पुरम कॉलोनी वार्ड 11 पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर न0- 108112502675825	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	सुनीता देवी पति- भरत राय ग्राम- अललीपुर पो0- बखरी सुपायन थाना- राजापाकर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300434648	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	इम्मबानी खातून पति- जाहिर देवान ग्राम- सरेया बाजार वार्ड 08 पो0- सरेया बाजार थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112406078921	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

130	सिमा देवी पति— त्रिलोकी मिश्रा ग्राम— बननी वार्ड 11 पो0— नगरा थाना— खैरा जिला— सारण सीआर न0— 108112300730921	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
131	कलावती देवी पति— केदार सिंह ग्राम— अरना वार्ड 01 पो0— अरना थाना— मशरक जिला— सारण सीआर न0— 108112500867867	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	रवि रजन यादव पिता— स्व0 कैलाश प्रसाद यादव ग्राम— पुरानी पानी टकी पीरमुहानी पो0— कदमकुआ थाना— गांधी मैदान जिला— पटना सीआर न0— 108112300894428	CKD	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
133	कचन देवी पति— सजय कुमार सिंह ग्राम+पो0— तिलकपुर थाना— सुलतानगज जिला— भागलपुर सीआर न0— 108112502482199	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
134	अनिल कुमार राय पिता— बिरेन्द्र राय ग्राम— हकमा पो0— तरवार थाना— भेल्दी जिला— सारण सीआर न0— 108112301232895	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,01,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,01,80,000/- (एक करोड़ एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **002681** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0—**503 2011 9556** खाता धारक का नाम—“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

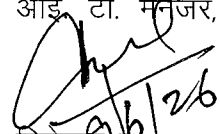
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1630(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002681 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक,

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,
नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,
अपोजीट पेट्रोल पम्प,
कंकड़बाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजू राम पिता- स्व0 लाला राम ग्राम- लखनी बिगहा द्वारिकापुरी पो0- खगौल थाना- दानापुर जिला- पटना रजि नं0- 2627/9051	हृदय रोग सीएबीजी	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत।
			1,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक "महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकड़बाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

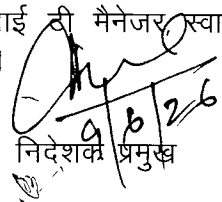
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1631(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 00000000000000000000 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक ...

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शमसुल हक अंसारी पिता- मो० सादिक अंसारी ग्राम- पडितपुर वार्ड 11 पो०- बिशुनपुरा थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगंज	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड स० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।



प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 09/6/2026

ज्ञापांक 1632(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002681 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अरविद कुमार रौथ पिता- भिखारी रौथ ग्राम- लकडी ढाई चदवारा एहिएपुर पो०- हेड पोस्ट ऑफिस कंपनी बाग थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 109112600772417	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शशि देवी पति- बिरेन्द्र कुमार गुप्ता ग्राम- महत्वाना मोहल्ला पो०+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना सीआर नं०- 109112600936169	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	ओमप्रकाश प्रसाद पिता- बंशी साह ग्राम- पिपरहियाँ पो०- अरुवां थाना- भगवानपुर जिला- सिवान सीआर न०- 109112600683741	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

4	नद किशोर कुमार पिता- सत्येन्द्र राम ग्राम- शाहपुर अम्बेडकर नगर वार्ड 27 पो0- औरंगाबाद थाना- टाउन जिला- औरंगाबाद सीआर नं0- 109112600649992	ACL	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
5	मो0 इरफान अहमद पिता- नसीम उद्दीन ग्राम- न्यू अजिमाबाद कॉलोनी पो0- महेन्द्र थाना- बहादुरपुर जिला- पटना सीआर नं0- 109112601052370	हृदय रोग पीसीटीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			4,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,85,000/- (चार लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **579310110008985** खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

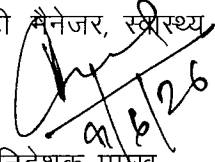
ज्ञापांक 1633 (14)

पटना, दिनांक

09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002681.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
कंकडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राहुल कुमार पिता- अशोक कुमार ग्राम- ईस्ट इंदिरा नगर रोड 05 आरएमएस कॉलोनी पो0- लोहिया नगर थाना- कंकडबाग जिला- पटना	Calculus Cholecystitis	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	चैना देवी पति- कपिलदेव राय ग्राम- बघारी टोले मनोरथी पो0- बघारी थाना- रून्नी सैदपुर जिला- सीतामढ़ी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	दुलारचन कुमार पिता- बकील राय ग्राम- नत्थूपुर पो0- चक सुल्तानपुर थाना- फतुआ जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	रामानंद सिंह पिता- स्व0 वृजनंदन सिंह ग्राम- इशरपुर सिपारा वार्ड 30 पो0- ढेलवा थाना- बेउर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	विजय सिंह पिता- फूलो महतो ग्राम- आजाद नगर गंज पो0+थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
6	रामपरी देवी पति- सुरेश प्रसाद ग्राम- पसंघी वार्ड 10 पो0- पसंघी थाना- एकगर सराय जिला- नालंदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	पट्टू कुमार साह पिता- महेंद्र साह ग्राम- साहू परबत्तार वार्ड 14 पो0- साहू परबत्ता थाना- परबत्ता जिला- भागलपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	कमला देवी पति- श्री किशुन सिंह ग्राम- बरहोगा यदु रामु राय के टोला पो0- गोरेयाकोठी थाना- जामो बाजार जिला- सिवान	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	चनिया देवी पति- दुलार राय ग्राम- महनार तारा चौरी पो0+थाना- महनार जिला- वैशाली	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
10	पूनम देवी पति- स्व0 सुखारी राम ग्राम+पो0+थाना- पुनौरा जिला- सीतामढी	हीप रिप्लेसमेंट	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			8,05,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,05,000/-(आठ लाख पाँच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

● यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

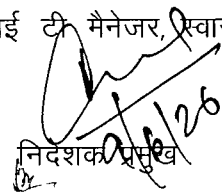
ह०/-
(डा० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1634(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...002681.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गुलशन आरा पति- मो० खलीलूर रहमान ग्राम- भारसिया पो०- झगरुचक थाना- फलका जिला- कटिहार यूएचआईडी नं०- 3000642091	Multy Organe Faloure	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	बंदे लाल यादव पिता- दाना लाल यादव ग्राम+पो०- द्वालख थाना- भेजा जिला- मधुबनी यूएचआईडी नं०- 3000616712	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	तमन्ना प्रवीण पिता- मो० वकील अहमद ग्राम- नपुर बनहारा पो०- अम्बा थाना- भगवानपुर जिला- बेगूसराय यूएचआईडी नं०- 3000632959	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	मास्टर कैफ अली पिता- नसरे आलम ग्राम- हेयातपुर वार्ड 04 पो०- सनिबसंतपुर थाना- जी बी नगर जिला- सिवान यूएचआईडी नं०- 3000637809	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	रूपा कुमारी पति- अमरजीत कुमार सिंह ग्राम- कटघरा पो0- भतौरा थाना- हथौडी जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी नं0- 3000630835	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	धीरेन्द्र कुमार पिता- स्व0 नन्द सिंह ग्राम- अदलूचक दौलतपुर पो0+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद यूएचआईडी नं0- 3000430218	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	नीरो देवी पति- सुरेश ठाकुर ग्राम+पो0+थाना- कतरीसराय जिला- नालंदा यूएचआईडी नं0- अंकित नहीं है।	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मो0 यहया पिता- मो0 तसदूक ग्राम- मनवारे पो0- अधांग थाना- जलालगढ़ जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी नं0- 3000635745	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	हुस्ने आरा खातून पति- अब्दुल खैर ग्राम- मसही पो0- जीतपुर थाना- छोड़ादानो जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी नं0- 3000636122	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	इसमाइल पिता- मो0 कलीमउद्दीन ग्राम- दलन टोला हाजीपुर पो0- कटिहार कोर्ट थाना- कटिहार जिला- कटिहार यूएचआईडी नं0- 3000623791	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	बेचन यादव पिता- स्व0 देबू यादव ग्राम- कांकर पो0- बिशनपुर बाजार थाना- कुमारखंड जिला- मधेपुरा यूएचआईडी नं0- 3000635079	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	शौकत पिता- मो0 अकबर खान ग्राम- मेंहदी नगर समनपुरा नियर बेलाल मस्जिद राजा बाजार पो0- बी भी कॉलेज थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना यूएचआईडी नं0- 3000630047	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

13	कलावती देवी पति- दुर्गा सिंह ग्राम+पो0- जगतपुर थाना- बरुण जिला- औरंगाबाद यूएचआईडी न0- 3000596376	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
14	किस्टो साव पिता- स्व0 लक्ष्मी साव ग्राम- बाजिदपुर पो0+थाना- बाढ जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000639953	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
15	दीपू कुमार पिता- रामबाबू प्रसाद ग्राम- किला रोड झाऊगंज पटना सिटी पो0- झाऊगंज थाना- चौक जिला- पटना यूएचआईडी नं0- 3000551276	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
16	साएमा परवीन पिता- मो0 गुलाम सरवर ग्राम- बहरमाडर पो0- ऍम कुँअरि थाना- परसा जिला- सारण यूएचआईडी नं0- 3000625993	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
17	फुलकी देवी पति- गुरुदेव मडल ग्राम- ओगरी पो0- महेशामुंडा थाना- कहलगाव जिला- भागलपुर यूएचआईडी न0- 3000590353	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
18	अक्षय कुमार सिंह पिता- स्व0 हरिनंदन सिंह ग्राम+पो0- देवापुर थाना- बरौली जिला- गोपालगंज यूएचआईडी न0- 3000276535	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
19	गंगा विशुन प्रसाद पिता- श्री चन्द्र प्रसाद ग्राम- मेन रोड काली सीन हिलसा पो0+थाना- हिलसा जिला- नालंदा यूएचआईडी नं0- 3000625425	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
20	रामोदित प्रसाद यादव पिता- शिबू यादव ग्राम- कुमरचक्की पो0- रहीमपुर थाना- मुफ्फसिल जिला- खगडिया यूएचआईडी नं0- 3000639143	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।

21	सतोष कुमार सिंह पिता- जगनारायण सिंह ग्राम- खैरा पो0- सदुरी कर्मा थाना- नरारी कला खुर्द जिला- औरंगाबाद यूएचआईडी नं0- 3000612663	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
22	काजल प्रसाद पिता- शिवाथ प्रसाद ग्राम+पो0- असहनी थाना- रसूलपुर जिला- सारण यूएचआईडी नं0- 3000640711	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	उदय शंकर वर्मा पिता- स्व0 शिव नंदन महतो ग्राम- रामजी चक नियर जहाज घर रोड पो0- बाटागंज थाना- दीघा जिला- पटना रजि नं0- 3000419231	CKD	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
24	राजीव कुमार पिता- स्व0 द्वारिका प्रसाद ग्राम+पो0- देवली थाना- शेखपुरा जिला- शेखपुरा यूएचआईडी नं0- 473498	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	धीरज कुमार पिता- दयाराम यादव ग्राम- लदौरा पो0- सहसी थाना- अलौली जिला- खगडिया रजि नं0- 3000637955	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
26	रागिनी देवी पति- सुशिल कुमार चौधरी ग्राम- टरवा पोझिया वार्ड 07 पो0- टरवा थाना-कोषा जिला- सारण रजि नं0- 3000344271	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			20,05,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,05,000/- (बीस लाख पाँच हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002681..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का

नाम—AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD
PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०— HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1635(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002681... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 03.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रिंकू देवी पति- बाढो चौहान ग्राम- सुजान बिगहा पो०- मालती थाना- अस्थवा जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	लखींद्र कुमार पिता- शिव राय ग्राम- खरगौलिया पो०- बालुकाराम थाना- वैशाली जिला- वैशाली	Decompression & Bone Grafting	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	पप्पू कुमार पिता- दीप नारायण मेहता ग्राम- नियर लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज लिटिल मोबाइल जोन पो०- महेन्द्र थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना	ACL	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,15,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,15,000/- (दो लाख पन्द्रह हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002681...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,

शाखा का नाम—एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लोर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 09/06/2026

ज्ञापाक 1636 (14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002681 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मजीत कुमार पिता- मदन लाल साह ग्राम+पो0- बलौर थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	किरण देवी पति- विजय शर्मा ग्राम- बादीपुर पो0- चिरौरा थाना- नौबतपुर जिला- पटना	Surgery (Lap Total Hysterectomy)	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,65,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,65,000/- (एक लाख पैंसठ हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0.022691.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1637(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 002681 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शीला देवी पति- राजू सहनी ग्राम- आर्य कुमार रोड मछुआ टोली पो०- बांकीपुर थाना- कदरमकुआ जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शहनाज बानो पति- मो० मुस्लिम ग्राम- जान बंद सुल्तानगंज पो०- महेन्द्र थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 2,00,000/- (दो लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002681..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1639(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002651 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हौस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
कंकडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बबलू कुमार पिता- अवधेश राम ग्राम- सुल्तानपुर चमर टोली दानापुर पो0+थाना- दानापुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी (सरवाइकल)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	किरण देवी पति- कारू ठाकुर ग्राम- अब्दालपुर पो0- बाघी बरडीहा थाना- वारसलीगंज जिला- नवादा	Decompression and Fixation	85,000	पचासी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सुमित्रा देवी पति- अकलु बिन्द ग्राम-भमरिया पो0- नदियामा थाना- रामगढ चौक जिला- लखीसराय	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	बरुण कुमार पिता- अशोक मेहता ग्राम- कढैया पो0- कचरा थाना- सौरबाजार जिला- सहरसा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	ज्योति कुमारी पिता- नन्द किशोर प्रसाद ग्राम- गोविंदपुर काली अस्थान फतवा पो0+थाना- फतुआ जिला- पटना	द्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	राजीव कुमार साह पिता- असफ़ी साह ग्राम- बेलसारा गोठ पो0- बेलसारा थाना- नारीगज जिला- अररिया	द्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			4,85,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,85,000/- (चार लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1640 (14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002681....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बुद्धा कैसर सेटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक.. ...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरिता देवी पति- सुबोध यादव ग्राम- चक्काडीह वार्ड 06 पो0- पडरिया थाना- बांका जिला- बांका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	ऐसा सिद्धिका पति- मो० फाशोके ग्राम- दौटी हवेली वार्ड 14 पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	सचिन कुमार पिता- सत्यनारायण राय ग्राम- सामनाहा मठ पो0- सोमनाहा मिर्जानगर थाना- चकमेहसी जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अनीता कुमारी पति- राम कुमार ग्राम- रतनपुरा वार्ड 08 पो0- नरही थाना- किशनपुर जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	जान्हीया देवी पति- बहारन राम ग्राम- रूदल हाता वार्ड 10 पो0- पलटुहाता थाना- जामो बाजार जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	मैकू रविदास पिता- नबीना मोची ग्राम- शाहपुर पो0- रामघाट थाना- नगरनौसा जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	सकुन्तला देवी पति- इन्द्रदेव साह ग्राम- लाभगाव वार्ड 09 पो0- लाभगाव थाना- गगौर जिला- खगडिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	राजा राम महतो पिता- चानो महतो ग्राम- हसा वार्ड 14 पो0- हंसा थाना- मथुरापुर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	मदन प्रसाद पिता- स्व0 श्रीदेव राय ग्राम- हल्दी छपरा धजवा टोला वार्ड 02 पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	ब्रह्मदेव पडित पिता- बहादुर पडित ग्राम- लदहो वार्ड 01 पो0- लदहो थाना- बिरौल जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	अहमदी पति- उस्मान ग्राम- चन्द्रदेई वार्ड 05 पो0- चन्द्रदेई थाना- अररिया जिला- अररिया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
12	फोटो देवी पति- भैरो यादव ग्राम- खोशलपुर पो0- परशुरामपुर थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

13	शाति देवी पति- गणेश साहनी ग्राम- सिउरी ऐमा पो0- गिद्धा थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	रामचद्र कुमार पिता- बिशुनदेव पाडित ग्राम- करौता वार्ड 05 पो0- डोमा थाना- सालीमपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
15	रियाशी राज पिता- अमित साह ग्राम- बेला पो0- लालबाग थाना- ल0ना0वि0वि0 जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
16	मारगुबा परवीन पिता- अब्दुल करीम ग्राम- डुमरी हाटगाछी वार्ड 13 पो0- टोली कोला थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
17	दरोगा भगत पिता- भागवत भगत ग्राम- अमेर वार्ड 13 पो0- नावानगर थाना- बिदुपुर जिला- हाजीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
18	गुड्डू बैठा पिता- मनेजर बैठा ग्राम- नारायणपुर वार्ड 08 पो0- नारायणपुर थाना- तरैया जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
19	पनिया देवी पति- रुदल यादव ग्राम- परोरा वार्ड 06 पो0- परोरा थाना- छौडाही जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
20	सकुन्तला देवी पति- सुनील चौधरी ग्राम- गौसगज वार्ड 02 पो0- सिद्धिपूर थाना- पालीगंज जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

21	प्रभावती देवी पति- कैलाश पासवान ग्राम- कपूरपुर वार्ड 04 पो0- उमेदपुर थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	अवन्त्या श्री पिता- श्रीराम सिंह ग्राम-आनंद मोलवा वार्ड- 15 पो0- हरैल थाना- मोहिउद्दीनगर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	कांति देवी पति- रामकश्य यादव ग्राम- शाहपुर वार्ड 05 पो0- मलिकपुर थाना- राजगीर जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	बिमला देवी पति- राम प्रवेश यादव ग्राम- चंद्र नगर रको पो0- कोशी कॉलेज थाना- मुफ्फसिल जिला- खगडिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	खेरुन निशा पति- मो0 जाकिर ग्राम- कुस्थन वार्ड 03 पो0+थाना- बिहारीगुज जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
26	अर्चना देवी पति- मनोज कुमार चौधरी ग्राम- शाहजगी नवटोलिया वार्ड 14 पो0- शाहजादपुर थाना- हबीबपुर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सिराजुल हक पिता- याकुब ग्राम- सलता पो0- हफनिया थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
28	मो0 एजाज अहमद पिता- अब्दुल कैयुम ग्राम- सलता वार्ड 01 पो0- हफनिया थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

29	अखतरी बेगम पति- जहिर उद्दीन ग्राम- कमालपुर नवादा वार्ड 40 पो0- नवादा थाना- बुन्देलखंड जिला- नवादा	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
30	विना देवी पति- तेजनारायण सिंह ग्राम- गहई वार्ड 02 पो0- लौखान थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सैयरा खातुन पति- नियाजुद्दीन असारी ग्राम+पो0- बाजितपुर थाना- करपी जिला- अरवल	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
32	समशा बेगम पति- अब्दुर रज्जाक ग्राम- चिलहनी पो0- सिरसी थाना- रौटा जिला- पूर्णियाँ	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
33	जय शंकर कुमार पिता- जवाहर महतो ग्राम- महारानी सीन अर्फबाद कॉलोनी पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			24,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 24,60,000/- (चौबीस लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002681... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम- "बुद्धा कैंसर सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

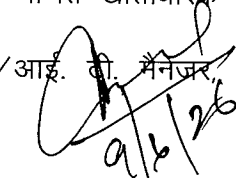
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1641(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002681.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सो- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	निरजन सिंह पिता- सीतो सिंह ग्राम- मझगाय पो०- अग्रहण थाना- शामपुर जिला- मुंगेर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मीना देवी पति- सुरेंद्र साव ग्राम+पो०+थाना- परासी जिला- अरवल	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	गुलशन कुमार पिता- कैलाश सहनी ग्राम- कुरहर पो०- धाधी थाना- नानपुर जिला- सीतामढी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	प्रभा देवी पति- उपेन्द्र पासवान ग्राम- मंगुराही पो०- ईटहट थाना- रिसियप जिला- औरंगाबाद	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	राकेश रजन पिता- बिहारी मिश्रा ग्राम- हरिहरपुर वैद्यव्य वार्ड 05 पो०- आधारपुर थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	मनराज मंडल पिता— सुकदेव मंडल ग्राम+पो0— पथरा थाना— बाराहाट जिला— बांका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मो0 तौफीक पिता— मो0 मुसलिम ग्राम— खिरीपघार पो0— औरिया थाना— बाराहाट जिला— बांका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सझा देवी पति— रामचरित्र दास ग्राम— तुरकाही पो0— रामविशनपुर थाना— राघोपुर जिला— सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			6,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,40,000 /— (छः लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002641.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना

में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1642(14)

पटना, दिनांक 09/06/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 002681... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
डा० बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि०) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुषमा कुमारी पिता-भगलु सिंह ग्राम-हैबसपुर पोस्ट-धमनी थाना-हसपुरा जिला औरंगाबाद	Lap Appendectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 30,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 442820110000158 खाता धारक का नाम- DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- बोरिंग कनोल रोड, पटना, बिहार-800001, RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1643(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002681....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रीना देवी पति- अजय सिंह ग्राम- नया गाव पो0- तैयबपुर थाना- देसरी जिला- वैशाली	ट्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अजय कुमार पिता- सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम- इमामगज पो0- शकरपुर इमामगज थाना- खानपुर खीडीमोड जिला- पटना	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	नाजिमा खातून पति- अब्दुल कौर ग्राम- सराय धनेश पो0- सहदेई बुजुर्ग थाना- सहदेई जिला- वैशाली	Oste Arthrities of Knee	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	अनीता कुमारी पति- राकेश कुमार ग्राम- फेकू बिगहा पो0- जलपुरा थाना- अरवल जिला- अरवल	ट्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 09/6/2026

ज्ञापाक 1644(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक स0 002681 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) रूमी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

क्यूरेस अस्पताल,

आर० के० पुरम मोड

नियर सगुना मोड, दानापुर

खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेणु देवी पति-महेश प्रसाद ग्राम-बीबीगज दलवार रोड पोस्ट-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना	ब्रेन हेमरेज	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002681..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एचडीएफसी०, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक, प्रमुख

पटना, दिनांक 09/6/2026

ज्ञापाक 1645 (14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002681 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	फूलमती देवी पति- कपिलदेव राय ग्राम- चक्की हनुमान नगर पो०- नरहन पानापुर थाना- राजेपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०- 19एफ2026/000818	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	गौरी देवी पति- ललित नारायण झा ग्राम- ब्रह्मपुरा पो०- घोघरडीहा थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी केस फाईल न०- 11एफ2025/010746	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	अकबरी खातून पति- इस्कुललह ग्राम+पो०- तेलपुर थाना- लौरिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- 19एफ2025/003305	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	मो० तलहा पिता/माता- इशरत प्रवीन ग्राम- खानपुर पो०- बेरई थाना- हथौडी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/002840	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	ललिता देवी पति- सुनिल पासवान ग्राम- बिशुनपुर सुमेर पो0+थाना- कौंटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024 / 003653	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	शशिवाला कुमारी सुमन पति- ललन कुमार मालाकार ग्राम- कोदरकट्टा पुरण टोला पो0- बरजी थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- केई/82194	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	कुती देवी पति- सतोष कुमार ग्राम- सुरदासपुर पो0- मोदनगज थाना- घोषी जिला- जहानाबाद केस फाईल न0- 11एफ2023 / 028889	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	गणेश साहू पिता- सोनेलाल साहू ग्राम- बेला पो0- शुम्भ ड्योढी थाना- सिधिया जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- सीयू/31476	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	रानी देवी पति- जगलाल पासवान ग्राम- चौसीमा पो0- सीहो थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024 / 004518	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	भुलावन साह पिता- गुदर साह ग्राम- गोविन्द फनदह पो0- रीगा थाना- पुनौरा जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2025 / 004797	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	रामउत्ती देवी पति- चन्दन कुमार साह ग्राम- ननफर पो0- शोभेपुर थाना- डेरनी जिला- सारण केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 001979	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

12	बबिता देवी पति- रविनाथ झा ग्राम+पो0- भोजपट्टी थाना- सराय जिला- वैशाली केस फाईल न0- 16एफ2026 / 000926	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मो0 दानीश पिता- मो0 सनाउल्लाह ग्राम- बैका पो0- ककोधर थाना- सकतपुर जिला- दरभंगा केस फाईल न0- 19एफ2026 / 002182	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	मो0 इसरार अहमद पिता- अब्दुल मुनाफ ग्राम- महुवल पो0- बडरम थाना- हुसैनगज जिला- सिवान केस फाईल न0- 19एफ2024 / 006598	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सकल दास पिता- बैद्यनाथ दास ग्राम- बहुआरा हरिबश वार्ड 14 पो0- राजपुर थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026 / 002407	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	उजमा अम्बरीन पिता- महताब आलम सिद्दीकी ग्राम- दर्जी टोला चदवारा रहमत मस्जिद पो0- प्रधान डाकघर थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 0003593	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	राजदेव भगत पिता- दरोगा भगत ग्राम+पो0- बतरदेह थाना- बरौली जिला- गोपालगज केस फाईल न0- 19एफ2026 / 002574	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	लीला देवी पति- राजनेती मडल ग्राम+पो0- सैदपुर थाना- मानसी जिला- खगडिया केस फाईल न0- 11एफ2025 / 029617	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

19	दिनेश यादव पिता- राम अनुग्रह यादव ग्राम- बरदिवन पो0- भौआडा थाना- टाउन जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 11एफ2024 / 038136	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	बरारसी देवी पति- रामबाबू राय ग्राम+पो0- मैठी थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 001295	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मो0 नूरहस्सन पिता- नेवाजी करीम ग्राम+पो0- करहटिया बुजुर्ग थाना- कटहरा जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2026 / 002641	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	शशिकांत शर्मा पिता- राजेद्र शर्मा ग्राम+पो0- मथुरापुर थाना- तुरकौलिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 11एफ2025 / 032732	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	मो0 अलीम पिता- नेवाजी असारी ग्राम- हरपुरसारी पो0- गिसारा थाना- परसौनी जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2025 / 003221	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
24	रानी परवीन पिता- मो0 जुबैर कुरैशी ग्राम- सादपुरा जमा मस्जिद पो0- रमना थाना- काजी मोहम्मदपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 002143	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	उर्मिला देवी पति- हरेन्द्र मुखिया ग्राम- टिकुलिया पो0- लक्ष्मीपुर थाना- मुफरिसल जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 16एफ2026 / 000835	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	नीरज मधु पिता- मधुसूदन प्रसाद ग्राम- रामबाग मई सीन सुन्दरबाग पो0- हेड पोस्ट ऑफिस थाना- मिठनपुरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/003322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	नूरजहा खातून पति- मो0 वजीर ग्राम- तेजपुरवा पो0- किशुनपुर तेलोर थाना- पातेपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025/004927	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
28	गोरख सिंह पिता- स्व0 नारद सिंह ग्राम+पो0- दुबौली थाना- पानापुर जिला- सारण केस फाईल न0- केई/80359	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सरस्वती देवी पति- राम अयोध्या सिंह ग्राम+पो0- चिकनौता थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/003261	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
30	माला देवी पति- राजेन्द्र प्रसाद साह ग्राम- गुदरी बाजार पो0+थाना- सुपौल जिला- सुपौल केस फाईल न0- 19एफ2023/001768	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	राम नारायण चौधरी पिता- स्व0 वैद्यनाथ चौधरी ग्राम- नगर परिषद् कीर्तन भवन के नजदीक पो0+थाना- सुपौल जिला- सुपौल केस फाईल न0- 19एफ2026/001279	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
32	मनमोहन लाल पिता- रामेश्वर लाल ग्राम- बिहाईड टीओपी कोटगस्त पुलीस चौकी पो0- झाऊगज थाना- खाजेकला जिला- पटना केस फाईल न0- 19एफ2025/007293	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	लालती देवी पति- भगवान कुमार ग्राम+पो0- परसौनी कपूर थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026 / 000580	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
34	मीना देवी पति- शीतल मडल ग्राम+पो0- महथा थाना- लदनिया जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001804	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
35	जागेश्वर सिंह पिता- स्व0 रामदयाल सिंह ग्राम- बरहटिया पो0- मणैली थाना- वैशाली जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2026 / 002977	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	विशेषवर दास पिता- लक्ष्मी दास ग्राम+पो0- अझौर थाना- निमाचद्रपुरा जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19एफ2025 / 006508	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
37	सोनी कुमारी पति- अनिल कुमार ग्राम+पो0- करनौल थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 007043	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	सकुतला देवी पति- बिदेश्वर राम ग्राम- नीमपट्टी पो0- लालू छपरा थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 007235	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
39	विजय तिवारी पिता- राम लक्ष्मण तिवारी ग्राम+पो0- शम्भूचक थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025 / 007124	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

40	परमेश्वर साह पिता-रामदेव साह ग्राम- सरवरपुर पो0- पिपराददन थाना- भूतही जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2026/001653	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
41	धनपति देवी पति- सिपाही राय ग्राम- बिजौली पो0- बेलौर थाना- पानापुर जिला- सारण केस फाईल न0- 19एफ2026/001238	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	अनुपम शाही पति- अमरेन्द्र शाही ग्राम- हरपुर पो0- हरदी थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2023/000985	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	दिलीप ठाकुर पिता- रघुनाथ ठाकुर ग्राम+पो0- सरैया बसत थाना- तरेया जिला- सारण केस फाईल न0- 19एफ2026/001780	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	रुबीना खातून पति- सत्तू खान ग्राम- फुलकौल पो0- मेघवल मठिया थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/000100	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	शीला देवी पति- महेद्र राय ग्राम- बगाहि पो0- मुस्तफापुर थाना- कौंटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/002004	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
46	मटुन रजक पिता- बानू रजक ग्राम+पो0- मालीपुर थाना- गढपुरा जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19एफ2023/004595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	आजाद असारी पिता- कयूम ग्राम- शरीफपुर पो0- कोइली थाना- नानपुर जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2026/003623	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			33,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 33,40,000/- (तैतीस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **002681** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCB and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1646 (14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 **002681** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- **03.06.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	महासुदरी देवी पति- बबलू दास ग्राम- रतनपुर पो०- बेगूसराय थाना- रतनपुर जिला- बेगूसराय	ब्रेन सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु० 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं०-**00030400000914** खाता धारक का नाम-“Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- **बैंक आफ बड़ौदा**, शाखा का नाम **पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BARBOPATNAX** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत**



करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

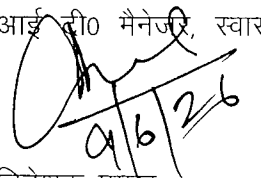
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1647(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 002681 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **03.06.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	मती देवी पति- महेन्द्र रविदास ग्राम- रघवा वार्ड 05 पो०+थाना- कौआकोल जिला- नवादा	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	ललीता देवी पति- ओमप्रकाश राय ग्राम+पो०- निमोईया थाना- घोडासाहन जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	कृष्णा देवी पति- विजय साह ग्राम- लॉ कौलेज वार्ड 09 पो०- मुगेर थाना- कोतवाली जिला- मुगेर	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			4,05,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,05,000/- (चार लाख पाँच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002681... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अंदर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1648(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002681 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आरु टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/6/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

सदीप कुमार
पिता- अम्बिका सिंह
ग्राम- चितामनपुर
पो0- दौडाद
थाना- सासाराम
जिला- रोहतास
पिनकोड- 821113

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक **03.06.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सदीप कुमार पिता- अम्बिका सिंह ग्राम- चितामनपुर पो0- दौडाद थाना- सासाराम जिला- रोहतास पिनकोड- 821113	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु0 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **002681**... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स0- **52580100001764**, खाता धारक का नाम- **SANDEEP KUMAR**, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- **BANK OF BARODA**, शाखा का नाम- **GOURAKSHANI**, IFSC कोड स0- **BARB0GOURAK** में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0 / -

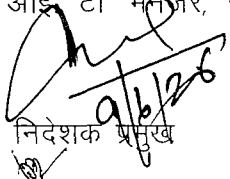
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1676(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 002681 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


9/6/26
निदेशक प्रमुख

[illegible]

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

प्रीति कुमारी
पिता- नरेश पासवान
ग्राम- बरेव
पो०- नेमदारगज
थाना- अकबरपुर
जिला- नवादा
पिनकोड- 805121

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रीति कुमारी पिता- नरेश पासवान ग्राम- बरेव पो०- नेमदारगज थाना- अकबरपुर जिला- नवादा पिनकोड- 805121	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 41777144670, खाता धारक का नाम- PRITI KUMARI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं०- SBIN0002362 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1677 (14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002681... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


9/6/26
निदेशक प्रमुख



SBI - KIOSK BANKING

Identity Card

APRJ-8318-5740-7746

Cif Number: 91166175985

Account Number: 41777144670

IFSC Code: SBIN0002362

First Name: Priti

Middle Name:

Last Name: Kumari

Address:

D/O: Naresh Paswan
Bareilly, P.O. Nemda

DIST Bareilly

Village Name:

Bareilly

Pin Code:

805121

KO Name:

AKASH KUMAR

KO Location:

MALIKPUR



स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अलमास खातून
पिता- मो० ऐन
ग्राम- ओरमा नया टोला वार्ड 06 पो०- हकामा
थाना- सिवान
जिला- सिवान
पिनकोड- 841227

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अलमास खातून पिता- मो० ऐन ग्राम- ओरमा नया टोला वार्ड 06 पो०- हकामा थाना- सिवान जिला- सिवान पिनकोड- 841227	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। द्वितीय किस्त (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 1160108250027, खाता धारक का नाम- ALMAS KHATOON, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CANARA BANK, शाखा का नाम- SIWAN, IFSC कोड सं०- CNRB0001160 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1678(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 012681 ...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


9/6/26
निदेशक प्रमुख

ACCOUNT DETAILS
SAVINGS

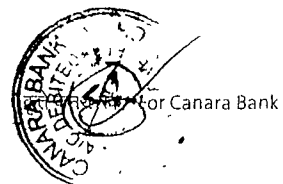
Information
Valid

Customer ID: 126911339
AC Opened On:
Mode of Operation: N/A
Mobile: 939953265961
PAN No:
Mortgage Reg No:
Mutual Fund Name:

Account No: 160108250027 (1160108250027)
CURRENT

Address
DEVI AMPALAKI CHAKRAVARTY
SWASTI SOCIETY, 25/10, CHITRA
DR, Z P, PUNE - 411 004

P.O.B. 0621 P-2002
22-OCT-2020
PB Issued Date: 23-Oct-2020
Printed
Folio: 1000000
PPON: 1
Savings Receipt



अधिसूचक / प्रबंधक Officer / Manager

Atm updatation

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।—

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिलीप कुमार पिता— दामोदर मतो ग्राम— तलबशीपुर पो०— दिघी थाना— सूर्यगढा जिला— लखीसराय	हृदय रोग डीवीआर	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	उमेश कुमार पिता— स्व० आनदी साव ग्राम+पो०+थाना— कादिरगज जिला— नवादा	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			3,15,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,15,000/- (तीन लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०— 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002681/... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम—“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार— चालू बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- 3 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1649 (14)

पटना, दिनांक

09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 002681 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
Vista Hospital,
1/1103 Near Patna Central School,
Bypass Road, Jaganpura,
Patna- 800027

पटना, दिनांक ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजब लाल पिता— भगवान दास ग्राम— घाना बिगहा पो०— मान्दछ थाना— तेल्हारा जिला— नालदा	URETHRO STOMY	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 90,000/- (नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 120031898022 खाता धारक का नाम— Vista Hospital Pvt. Ltd., खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— Canara Bank, शाखा का नाम— Patna Central School, Jaganpura, RTGS/IFSC कोड सं०— CNRB0017435 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1650(14)

पटना, दिनांक

09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002681... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई० टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ए०एस० जी० आई अस्पताल
ओल्ड आर के० एभन्यु
राजेन्द्र नगर, नियर दिनकर गोलम्बर
पटना 800004

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 03.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रीता कुमारी पति- राजेश कुमार ग्राम- बरेलीचक वार्ड 06 पो०+थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद	Both Eye Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002681 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 016705012140 खाता धारक का नाम-"ए०एस०जी० हॉस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-आई०सी०आई०सी० आई०, शाखा का नाम-, पटना RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0000167 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1651(14)

पटना, दिनांक 09/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002681 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आर्. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख